



भारत सरकार / GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क - जयपुर

OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 (राज.)

HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

फोन नं. : 0141- 2385359

स्थापना शाखा

फैक्स नं. : 0141- 2385222

स्थापना आदेश संख्या - 03/2019

दिनांक : 15.02.2019

डी.जी.ए.आर.एम., नई दिल्ली द्वारा निरन्तर जी.एस.टी. करदाताओं के डाटा भेजे जा रहे हैं जिस पर आगे की कार्रवाई करने की आवश्यकता है एवं करदाताओं के खिलाफ सी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 एवं आई.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के तहत कार्रवाई करनी होगी। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण को प्राप्त करने हेतु एक "डाटा माइनिंग सेल" इस आयुक्तालय में बनाई गई है। अतः सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 01/2018 दिनांक 11.05.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित निरीक्षकों को उनके नाम के आगे दर्शाये अनुसार अतिरिक्त कार्यभार तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रदान किया जाता है :-

S.No.	NAME OF THE OFFICER(Sh./Ms.)	PRESENT CHARGE	ADDITIONAL CHARGE
01.	NITISH DUNIWAL, INSP.	TECHNICAL, CGST & CXF(H), JAIPUR	DATA MINING CELL WITH HIS PRESENT CHARGE
02.	NEMI CHAND DADARWAL, INSP.	STATS/INSPECTION, CGST & CXF(H), JAIPUR	DATA MINING CELL WITH HIS PRESENT CHARGE

उक्त आदेश श्रीमान प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर की संस्वीकृति पश्चात जारी किया जा रहा है।

— ह० —

(बी. एल. मीना)

संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.)

फा.सं.: II-03(05)स्था./जेपीआर/निरी./2017 / 3450.

दिनांक : 15.02.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर।
3. निजी सचिव, अपर आयुक्त(क.अ./तक.)/संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु., जयपुर।
4. उप/सहायक आयुक्त(तकनीकी/सांख्यिकी/निरीक्षण), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु., जयपुर।
5. प्रशासनिक अधिकारी(डी.डी.ओ.) सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु., जयपुर।
6. व्यक्तिगत प्रति/सेवापुस्तिका।
7. विभागीय वेबसाइट www.centralexcisejaipur.nic.in पर अपलोड हेतु।

संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.) 15/2/19